आदेश ब इजलास अंतर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 209/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, तृतीय मंजिल, मैट्रिक्स मॉल, सेक्टर–4, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान)

प्राथी बैंक

बनाम

1. मैसर्स स्कॉन इन्टरनेशनल

   श्री निर्मल नाथानी पुत्र श्री सीताराम नाथानी (प्रोपराईटर)

   पता 1: प्लॉट नं. 24 एवं 25, खसरा नं. 82/191, पटेलनगर कॉलोनी, सुदर्शनपुरा, 22 गोदाम, जयपुर (राजस्थान)

   पता 2 फैक्ट्री : "स्कॉन हाउस", प्लॉट नं. 24–25, लक्ष्मी धर्म कांटा के पीछे, हवा सड़क, 22 गोदाम, जयपुर (राजस्थान)

   पता 3: डी–244, देवी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर (राजस्थान)।

2. श्री निर्मल नाथानी पुत्र श्री सीताराम नाथानी (जमानतदार)

   पताः डी–244, देवी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर (राजस्थान)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः–

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 08.09.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.03.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी (1) फर्म की समस्त चालू आस्तियों (वर्तमान एवं भविष्य) यथा फैक्ट्री, दुकान, गोदाम में स्थित (1) कच्चा स्टॉक मटेरियल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, प्रकियारत स्टॉक, तैयार स्टॉक आदि (2) फर्म की बुक डेब्ट्स/रिसिवेबल्स (वर्तमान एवं भविष्य) (2) श्री निर्मल नाथानी पुत्र श्री सीता राम नाथानी के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक भूमि एवं भवन जो "स्कॉन हाउस" प्लॉट नं. 24–25, लक्ष्मी धर्म कांटा के पीछे, हवा सड़क, 22 गोदाम, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 437.90 वर्ग मीटर है को हाईपोथिकेटेड एवं बन्धक कर नकद साख सीमा में राशि 3.00 करोड़ रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को नकद साख सीमा में कुल 3.00 करोड़ रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्तियां बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी हैं। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 3,14,64,862/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.11.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्तियों का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी (1) फर्म की समस्त चालू आस्तियों (वर्तमान एवं भविष्य) यथा फैक्ट्री, दुकान, गोदाम में स्थित (1)कच्चा स्टॉक मटेरियल्स, स्टोर्स, स्पेयर्स, प्रकियारत स्टॉक, तैयार स्टॉक आदि (2) फर्म की बुक डेब्ट्स/रिसिवेबल्स (वर्तमान एवं भविष्य) एवं (2) श्री निर्मल नाथानी पुत्र श्री सीता राम नाथानी के नाम साम्यिक बंधक व्यावसायिक भूमि एवं भवन जो "स्कॉन हाउस" प्लॉट नं. 24-25, लक्ष्मी धर्म कांटा के पीछे, हवा सड़क, 22 गोदाम, जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 437.90 वर्ग मीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्तियों का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 08.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

8/9/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)